

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर 2025—भाद्र 14, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 मार्च 2025

क्रमांक ESTB/585/2025-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (2019), उप सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 मार्च 2025

क्रमांक ESTB-104(1)/17/2025/O/O DS(GAD-2).—राज्य शासन एतद्वारा भारत सरकार, केंद्रीय नियुक्ति समिति, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 33/04/2025-EO(SM-1), दिनांक 21-03-2025 के तारतम्य में श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (सीजी: 2004), सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा अति. प्रभार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सी.आई.एम.एस.), बिलासपुर की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेश पर्यन्त, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पद पर नियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से भारत सरकार को सौंपते हुए कार्यमुक्त करता है.

2. श्री एस. भारतीदासन, भा.प्र.से. (2006), सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अगस्त 2025

क्रमांक/ESTB-2035/14/2025-REVENUE सात-3.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन. 2013) की धारा 53 की उप-धारा (1) एवं (2) के तहत राज्य शासन, एतद्वारा श्री हिरेन्द्र सिंह तेकाम (सेवा निवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को, सुपर टाईम स्केल (स्वयं का वेतनमान) पर, सेवा निवृत्त पर अनुज्ञेय वेतन में से पेंशन (सारांशीकृत अंश को शामिल करते हुए) को घटाकर, पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्वेष घृतलहरे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग**कार्यालय कलेक्टर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

सक्ती, दिनांक 18 अगस्त 2025

क्रमांक/393 क/अ-82/2024-2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	डभरा	कबारीपाली प.ह.नं. 14	0.353	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर मुख्यालय, चांपा (छ.ग.)	घटोई जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सक्ती, दिनांक 18 अगस्त 2025

क्रमांक/394 क/अ-82/2024-2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	डभरा	केकराभाठ प.ह.नं. 14	0.375	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर मुख्यालय, चांपा (छ.ग.)	घटोई जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 1 अगस्त 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/3719.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6040-6041 रायपुर, दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री गोपाल प्रसाद वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, आरंग, जिला रायपुर को कृषि उपज मंडी समिति आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय कार्यालय रायपुर के पत्र क्रमांक/बोर्ड/बी-4/1/भार.अधि./2024-25/1090 रायपुर दिनांक 30-07-2025 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.) के भारसाधक अधिकारी, श्री गोपाल प्रसाद वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, आरंग, जिला रायपुर दिनांक 30-06-2025 को अधिवार्षिक आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने का उल्लेख करते हुए श्री महेश दत्त ओझा, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि विभाग रायपुर को कृषि उपज मंडी समिति आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री गोपाल प्रसाद वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, आरंग, जिला रायपुर के स्थान पर श्री महेश दत्त ओझा, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि विभाग रायपुर को कृषि उपज मंडी समिति आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.) का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 1 अगस्त 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/3721.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2024-25/4494-4495 रायपुर, दिनांक 16-10-2024 द्वारा श्री प्रवीण कुमार यादव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जैजैपुर को कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर, जिला सक्ती (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

संयुक्त संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय कार्यालय रायपुर के पत्र क्रमांक/बोर्ड/नियमन/भार.अधि./2025-26/1702 बिलासपुर दिनांक 25-07-2025 के माध्यम से कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) के भारसाधक अधिकारी, श्री प्रवीण कुमार यादव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जैजैपुर का स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री मनोहर कुमार रात्रे, कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड जैजैपुर को कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर, जिला-सक्ती का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री प्रवीण कुमार यादव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जैजैपुर/भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) का स्थानांतरण होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री मनोहर कुमार रात्रे, कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड-जैजैपुर (छ.ग.) को आगामी आदेश तक कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर, जिला सक्ती (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

महेन्द्र सिंह सवनी,
संचालक.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 202508042100021 बी-121/2024-25.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, पहनं. 34, तह. डभरा, जिला सक्ति (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा, पहनं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दर्रीपाली, प.ह.नं. 32, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	भूमिगत पाइप लाइन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	दर्रीपाली प.ह.नं.-32	402	0.360
			401	0.040
			400/2	0.004
			164	0.060
			161	0.047
			403/1	0.030
			403/2	0.030
			404/2	0.240
			419/1	0.050
			440	0.178
			435/2ख	0.034
			435/2ग	0.034
			159	0.016
			435/2क	0.068
			436	0.051
			437	0.051
			439	0.032
			171	0.040
			170/1	0.081
			170/2	0.024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			438/1	0.145
			438/2	0.020
			172	0.084
			447	0.085
			448	0.061
			446	0.020
			173/3	0.018
			169	0.075
			167	0.145
			165	0.045
			142	0.138
			163	0.034
			160	0.069
			154/1	0.012
			153/1	0.165
			150	0.185
			141/1	0.108
			141/2	0.020
			140	0.108
			130	0.028
			131	0.061
			129	0.060
			126	0.016
			132	0.154
			125	0.150
			124/1 क	0.028
			121/1 क	0.028
			121/1 ख	0.057
			119/2 ख	0.087
		योग	49	3.676

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

रायगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 202508042100022 बी-121/2024-25.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, पहनं. 34, तह. डभरा, जिला सक्ति (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा, पहनं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-छोटेभंडार, प.ह.नं. 23, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	भूमिगत पाइप लाइन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	छोटेभंडार प.ह.नं.-23	190/4	0.045
			292/5	0.126
			190/2	0.078
			192/5	0.227
			192/3	0.043
			192/8	0.090
			192/10	0.288
			192/2	0.054
			292/1	0.019
			192/4	0.084
			292/7	0.085
			292/2	0.095
			293/1	0.016
			293/2ख	0.086
			294	0.091
			302	0.006
			303/2	0.061
			303/1	0.030
			303/3	0.086
			303/5	0.060
			303/4	0.032
			305/1	0.004
			305/2	0.061
			289/7, 289/8, 289/9	0.040
			289/3, 289/4	0.090
			289/5, 289/6	0.165
योग			30	2.062

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

रायगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 202508042100023 बी-121/2024-25.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, पहनं. 34, तह. डभरा, जिला सक्ति (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा, पहनं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है।

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-बोंदा, प.ह.नं. 25, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	भूमिगत पाइप लाइन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	बोंदा	1/5	0.162
		प.ह. नं.-25	1/1	0.020
			1/4	0.325
			2/1	0.042
			36	0.065
			35	0.050
		योग	6	0.664

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

रायगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 202508042100024 बी-121/2024-25.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, पहनं. 34, तह. डभरा, जिला सक्ति (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा, पहनं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है।

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-देवलसुरा, प.ह.नं. 32, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	भूमिगत पाइप लाइन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	देवलसुरा प.ह.नं.-32	53/2क/1	0.032
			53/1क/3	0.258
			574/4	0.096
			592/2	0.112
			578/1	0.067
			579/1	0.020
			580/1	0.020
			580/2	0.079
			578/2	0.075
			580/3	0.022
			557/2	0.008
			581/1	0.040
			581/2	0.040
			582	0.028
			566/1	0.105
			565	0.034
			563	0.234
			562/1ग	0.120
			562/1ख	0.012
			560	0.065
			559/2	0.030
			557/3	0.020
			558	0.187
			548	0.060
			547	0.042
			546	0.085
			523	0.121
			3	0.222
			14	0.030
			1/1	1.114
			28	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			29	0.020
			30/2	0.048
			30/1क	0.028
			30/1ख	0.020
			30/1ग	0.018
			31/1	0.135
			36	0.083
			41/1	0.061
			42/2	0.125
			42/1	0.121
			43	0.061
			54	0.195
		योग	43	4.313

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

रायगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 202508042100027 बी-121/2024-25.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, पहनं. 34, तह. डभरा, जिला सक्ति (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा, पहनं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-तुपकधार, प.ह.नं. 24, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	भूमिगत पाइप लाइन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	तुपकधार प.ह.नं.-24	20/1 19/2	0.130 0.056

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			20/2	0.090
			305	0.091
			123/1	0.405
			123/2	0.104
			129	0.295
			108	0.036
			130/2, 133	0.231
			102	0.146
			101	0.061
			107/1, 107/2	0.150
			107/3	0.012
			103	0.008
योग			16	1.815

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

रायगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 202508042100030 बी-121/2024-25.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, पहनं. 34, तह. डभरा, जिला सक्ति (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा, पहनं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-बासनपाली, प.ह.नं. 32, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	भूमिगत पाइप लाइन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	बासनपाली प.ह.नं.-32	17/1 क 17/2 ख	0.004 0.121

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			17/2 क	0.069
			8	0.096
			11/2	0.112
			10/1	0.004
			9	0.010
			10/2	0.089
			6	0.036
			11/1	0.132
			5/2	0.044
		योग	11	0.717

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

रायगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 202508042100031 बी-121/2024-25.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, पहनं. 34, तह. डभरा, जिला सक्ति (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा, पहनं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-रनभांठा, प.ह.नं. 24, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	भूमिगत पाइप लाइन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	रनभांठा	67/1	0.016
		प.ह.नं.-24	67/2	0.016
			67/3	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			67/4	0.016
			68/1	0.065
			68/2	0.061
			66	0.045
			60	0.048
			61	0.064
			62	0.016
			69	0.089
			59	0.040
			65/1	0.040
			65/4	0.040
			63	0.036
			64	0.053
			53	0.345
		योग	17	1.006

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

महेश शर्मा
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 25th July 2025

No. 6/L.G./2025/II-2-25/2015.—Shri Prabodh Toppo, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted commuted leave for 08 days from 28-08-2024 to 04-09-2024, earned leave for 01 day on 10-12-2024 and earned leave for 04 days from 23-12-2024 to 26-12-2024 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 20-12-2024 till before the court hours of 01-01-2025.

During the period of earned leave & Commuted Leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Toppo, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+03 days of earned leave and 308 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 25th July 2025

No. 7/L.G./2025/II-3-26/2014.—Shri Sirajudding Qureshi, Principal District and Sessions Judge, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 27-12-2024 to 31-12-2024 in continuation of winter vacation along with permission to leave headquarters from 26-12-2024 to 31-12-2024 & earned leave for 03 days from 24-04-2025 to 26-04-2025 along with permission to leave headquarters from the evening of 23-04-2025 till the night of 26-04-2025.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 228 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
SANTOSH THAKUR, Additional Registrar (ADMN.)
